प्रेस विज्ञप्ति

10.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 09.05.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और सूरत में 4 परिसरों में तलाशी ली, जो ब्रांड नाम "टॉरेस ज्वेलरी" के अंतर्गत मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है।

ईडी ने एपीएमसी पुलिस स्टेशन, वाशी, नवी मुंबई द्वारा दर्ज किए गए मामले के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने मोइसैनाइट डायमंड और अन्य आभूषणों की बिक्री के बदले अपने ग्राहकों से भारी मात्रा में नकदी एकत्र की है। उक्त नकदी का उपयोग अपने वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करने के बजाय, उक्त नकदी को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भेजा गया और बाद में यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर दिया गया। मुख्य व्यक्ति अल्पेश खारा ने न केवल ऑलेक्ज़ेंडर जैपिचेंको उर्फ एलेक्स और सुश्री ओलेना स्टोयन के निर्देशों पर मुंबई भर में टोरेस शोरूम से भारी मात्रा में नकदी एकत्र करने में मदद की, बल्कि उक्त नकदी को यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में बदलने में भी उनकी सहायता की। अल्पेश खारा को ईडी ने 26.03.2025 को गिरफ्तार किया था और वह 26.03.2025 से 01.04.2025 तक ईडी की हिरासत में था।

जांच के दौरान पता चला कि अल्पेश खारा एक ज्ञात अंगड़िया संस्था के फ्रेंचाइजी मालिकों में से एक था, जिसकी पूरे भारत में शाखाएं हैं और अंगड़िया की उन शाखाओं के साथ-साथ अन्य विभिन्न हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारी मात्रा में नकदी का आदान-प्रदान हुआ है।

ईडी ने मुंबई और सूरत में उन अंगड़िया/हवाला ऑपरेटरों के यहां तलाशी ली, जिन्होंने मुंबई और सूरत में ऐसे हवाला लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में सहायता की थी, जिसके परिणामस्वरूप 6.30 करोड़ रुपये की भारी नकदी के साथ-साथ आपत्तिजनक डिजिटल डिवाइस जब्त की गई। इस मामले में 23.01.2025 को की गई पहले की तलाशी में कुल 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खातों को फ्रीज किया गया था और आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।